

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, बुद्धवार, अक्टूबर 10, 1979/आश्विन 18, 1901
No. 201] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 1979/ASVINA 18, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना संख्या-70 ईटीसी(पी एन)/79

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय :—1979-80 के दौरान कुन्वों में और बिरे हुए आकार में शीशम की
लकड़ी की निर्यात नीति ।

मिसिल संख्या-6/68/79-ई-आई.—उपयुक्त विषय पर भारत के असा-
धारण राजपत्र में प्रकाशित निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश संख्या-ई(सी) ओ,
1977/एम(136) दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 की ओर ध्यान आकृष्ट किया
जाता है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि कुन्दो में और चिरे हुए आकार में शीशम की लकड़ी के निर्यात की अनुमति वर्तमान लाइसेंस अवधि के दौरान 'पहले आए सो पहले पाए' आधार पर पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा सीमित उच्चतम सीमा के भीतर दी जाए।

3. तदनुसार निर्यात नीति 1979-80 के पृष्ठ-29 पर अनुबन्ध-2 में पैरा-5 के बाद निम्नलिखित को पैरा-5-क के रूप में निविष्ट किया जाएगा —

“5-क-कुन्दो में और चिरे हुए आकार में शीशम की लकड़ी के निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर दी जाएगी।”

सी. वेकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 70-ETC(PN)/79

New Delhi, the 10th October, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

Subject.—Export Policy of Rosewood in Log and Sawn sizes during 1979-80.

F. No. 6/68/79-EI.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(136) dated the 10th October, 1979, published in the Gazette of India Extraordinary, on the above subject.

2. On a review of the position, it has been decided to allow the export of Rosewood in log and sawn form, during the current licensing period, within a limited ceiling, by the port licensing authorities, on first-come, first-served basis.

3. Accordingly, in Annexure II on page 29 of the Export Policy Book 1979-80 the following shall be inserted after paragraph 5 as paragraph 5A.

“5A—Export of Rosewood in log and sawn form will be allowed within a limited ceiling.”

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports